प्रारूप- II

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..... .....निवासी..... ग्राम..... तहसील.....नगर..... .....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... .....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान — हस्ताक्षर.....

दिनांक — पूरा नाम.....

मुहर — पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

❑❑❑

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री.....निवासी.....तहसील.....नगर.....जिला.....राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची –दो जैसा कि उ0प्र0 लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पांच लाख रुपये या इससे अधिक नही हतथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

□□□

राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र

संख्या–22/16/92/टी०सी० III

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वार्षिक अनुभाग–2

लखनऊः दिनाँक : 22 अक्टूबर, 2008

विषय : राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण–पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर 2008 के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्था कर दी गयी है:–

"ऐसे व्यक्ति जिनकी निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पांच लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पति हो।"

3- समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर–4 एवं उसके साथ संलग्न प्रारूप–1 को भी उपरोक्तानुसार संशोधित कर दिया गया है।

4- उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर –4 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा संलग्न संशोधित प्रारूप के अनुसार जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय।

5- कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय
(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।